न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0 क0 एक/निगरानी/पन्ना/भू-रा/2017/

अशोक कुमार पिता द्वारका प्रसाद अग्रवाल
निवासी-रैपुरा, तहसील रैपुरा, जिला पन्ना
म0प्र0

---- आवेदक

विरूद्ध

बिहारी पिता बुधुवा रैकवार
निवासी-रैपुरा, तहसील रैपुरा, जिला पन्ना
म0प्र0

---- अनावेदक

यह निगरानी आवेदन म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत तहसीलदार रैपुरा तहसील रैपुरा जिला पन्ना के प्रकरण कमांक 15/अ-12/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 28.05.17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

महोदय,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

1- यह कि, अनावेदक द्वारा तहसीलदार रैपुरा, तहसील रैपुरा के न्यायालय में आराजी नम्बर 3963 एवं 3964 का सीमांकन कराये जाने बावत् म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 129 के अंतर्गत सीमांकन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया।

2- यह कि अनावेदक के उक्त आवेदन पर से श्रीमान् अधीक्षक महोदय पन्ना के पत्र कमांक 1297/भू-अभि./2017 पन्ना दिनांक 25.05.17 के पालन में दिनांक 23.05.17 को गठित दल द्वारा दिनांक 24.05.17 को आराजी नम्बर 3963 एवं 3964 का सीमांकन कार्य किया गया। सीमांकन के समय आराजी नम्बर 3964 में दक्षिणी सीमा मे 10 फुट व उत्तरी सीमा में 8 फुट में

(13)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/पन्ना/भू.रा./2017/4420 **अशोक विरूद्ध बिहारी**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-12-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित । 3. प्रस्तुत निगरानी तहसीलदार रैपुरा जिला पन्ना के सीमांकन आदेश दिनांक 28-05-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 24-01-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । 21.12.18 (आर.के. जैन) सदस्य	